संख्याः- 30 /2019/2648/अड़तीस-7-2019-281नरेगा/2010टीसी

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 11 नवम्बर, 2019

विषयः-मनरेगा योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के क्रय की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

मनरेगा योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के क्रय की व्यवस्था के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-2020/38-7-2012-281एनआरईजीए/10 दिनांक 18-09-2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से योजनान्तर्गत सामग्री क्रय के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत मास्टर सर्कुलर 2019-20 के बिन्दु 7.1.7 के पैरा-बी एवं सी में सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में निम्नानुसार प्राविधान किया गया हैः-

b. All procurement orders must be approved by the competent State government official on whom such financial powers are vested. In no case shall such a functionary be below the rank of Block Development Officer. Such financial powers shall not be delegated further.

c. If some items are to be used across the entire block e.g. bricks, reinforcement bars etc. then the requirement from each GP for the entire financial year may be aggregated at the block level. The BDO shall call a tender for such aggregated items so that materials are procured at competitive rates and economies of scale are achieved. The BDO shall approve the vendors along with rates for procurement of the aggregated items. In all such cases, the GPs may procure the meterial at approved rates through vendors approved by BDO. The States can also procure such aggregated items either at the District

http://srisandesh.up.nic.in

or the State level after approval of the Principal Secretary in charge of MGNREGS.

अत: उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत मनरेगा योजनान्तर्गत सामग्री क्रय के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय-

1. मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यों का प्राक्कलन बनाने के लिए Secure का प्रयोग किया जा रहा है, इसके लिए जनपदों द्वारा कार्यों से संबंधित मानक सामग्री, श्रमिक, मशीनरी व स्थानीय सामग्री की मूल दरों का प्राविधान, लोक निर्माण विभाग के Schedule of Rates(SOR) तथा लोक निर्माण विभाग में दरों की अनुपलब्धता की दशा में Delhi Schedule of Rates(DSR) की दरें Secure में प्राविधानित की गयी हैं।
2. कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लोक निर्माण विभाग के Schedule of Rates(SOR)/Secure में अंकित की गयी दरों से अधिक दर पर भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जाय।
3. योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित श्रम बजट व कार्ययोजना की वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप क्रय की जाने वाली सामग्री दर पर राज्य सरकार के स्टोर परचेज रूल्स, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के परिशिष्ट-18-19 में प्राविधानित क्रय नियम तथा समय-समय पर उदयोग विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. योजनान्तर्गत यदि किसी परिस्थिति में अधिक मात्रा में सामग्री का क्रय किया जाना है तो Economics of Scale प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार की वित्तीय नियमावली का अनुपालन करते हुए विकास खण्डवार Vendor का Empanel जनपद स्तर से किया जा सकता है। विकास खण्डवार Vendor का Empanel करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि सामग्री ढुलाई की धनराशि सहित कुल व्यय न्यूनतम हो।
5. ग्राम पंचायतों के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की मात्राओं को संकलित कर आपूर्ति हेतु विकास खण्डवार जनपद स्तर से सामग्री की विशिष्टियों, दरों व आपूर्तिकर्ताओं को अनुमोदित किया जाय।
6. सामग्री क्रय के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के वित्तीय नियमों का अनुपालन तथा क्रय संबंधी समुचित रिकार्ड का संधारण किया जाय।
7. सामग्री क्रय संबंधी कार्यादेश कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात जारी किये जायेंगे। खण्ड विकास अधिकारी से निम्न स्तर का अधिकारी इसके लिए सक्षम नहीं होगा, अर्थात ग्राम पंचायत स्तर से सामग्री क्रय किये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी से अनुमोदन के पश्चात ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
8. ग्राम पंचायत स्तर पर उपयोग में आने वाली समान प्रकृति की सामग्री को विकास खण्ड स्तर पर समेकित कर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इसके लिए समेकित निविदा जारी की जायेगी, जिससे सामग्री को प्रतिस्पर्धा एवं किफायती दर पर क्रय किया जा सके। उक्त निविदा का अनुमोदन भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा ही किया जायेगा।

http://sirsanadesh.up.nic.in

9. किसी भी स्थिति में आवश्यकता से अधिक सामग्री का क्रय नहीं किया जायेगा, जिससे आपूर्ति के तुरन्त बाद सामग्री का उपयोग हो सके। आपूर्ति की गयी सामग्री एक माह के पश्चात शेष नहीं रहनी चाहिए।

10. आपूर्ति की गयी सामग्री का भुगतान उस कार्य से संबंधित श्रमिकों के मस्टर रोल का भुगतान होने के पश्चात ही किया जा सकेगा अर्थात किसी भी कार्य अथवा कार्य के हिस्से से संबंधित श्रमांश का भुगतान होने के पश्चात ही उससे संबंधित सामग्री अंश का भुगतान किया जा सकेगा।

11. सामग्री क्रय संबंधी सूचनाओं का मनरेगा साफ्ट पर नियमानुसार अंकन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- कृपया मनरेगा योजनान्तर्गत सामग्री क्रय किये जाने हेतु उक्त दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

संख्याः- 30 /2019/ 2648(1)/अड़तीस-7-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
2. अपर आयुक्त, मनरेगा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र।
6. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त, श्रम रोजगार, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम केशर यादव
अनु सचिव।

http://shrisandesh.up.nic.in